न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 81/2023 (GCMS No. 2023/87) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. काडू
2. मुनेश } पिसरान नत्थू
3. राकेश
4. रामप्रसाद पुत्र श्योला

जाति माली निवासी रायसना तहसील नादौती जिला करौली।

.....अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नादौती जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती दिनांक 13.03.23 मुकदमा नं. 496/2023 बावत् खसरा नम्बर 3391/135, 3395/134 ग्राम रासना तहसील नादौती।

उपस्थितिः—

1. अपीलांटस की ओर से श्री पंकज कुमार, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 27.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश उपखण्ड अधिकारी नादौती के आदेश दिनांक 13.03.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र कृषि भूमि से अकृषि (औधोगिक) ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ खसरा नम्बर 3391/135, 3395/134 ग्राम रायसना तहसील नादौती के भूमि रूपान्तरण हेतु उपखण्ड अधिकारी नादौती के यहां प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2023 से खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय पैरोकार हाजिर अदालत आये।

3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांटस ने एक प्रार्थना पत्र कृषि भूमि से अकृषि (औधोगिक) ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ खसरा नम्बर 3391/135, 3395/134 ग्राम रायसना तहसील नादौती के भूमि रूपान्तरण हेतु उपखण्ड अधिकारी नादौती के यहां प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का मौका नहीं दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अपीलांटस ने करीब 2 साल पूर्व दिनांक 2.10.2021 को भूमि रूपान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था एवं समस्त विभागों से अनापत्ति रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई थी तथा अपीलांटस ने अपनी भूमि का समर्पण भी राज्य सरकार के हित में कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय का अपनी रिपोर्ट में यह कहना कि खसरा नम्बर 3397/336, 334, 357 पर ईंट भट्टा संचालित है रिकार्ड व मौके के विपरीत है। मौके पर कोई ईंट भट्टा राज्य सरकार कर अनुमति से संचालित नहीं हो रहा है। अपीलांटान का भूमि रूपान्तरण का प्रार्थना पत्र सबसे पुराना है। तहसीलदार नादौती कर रिपोर्ट दिनांक 1.03.2023 जो कि एकतरफा में तैयार की गई है में यह कहा गया है कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। जबकि मौके पर आवेदित भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। दिनांक 30.07.2023 को प्रार्थीगण ने जब कार्यालय जाकर अपनी पत्रावली के बारे में जानकारी की तब उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई जिसकी नकल दिनांक 31.07.2023 को मिलने पर अपील अन्दर मियाद पेश है। जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2023 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के ओदशों में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा अपीलांटस ने यह अपील मयाद बाहर पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 13.03.2023 का है तथा प्रस्तुत अपील दिनांक 11.08.2023 को पेश हुई जो लगभग 5 माह के विलम्ब से प्रस्तुत होना पायी जाती है। हम अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं जैसाकि माननीय न्यायालय ने समय–समय पर विभिन्न प्रकरणों में अपना अभिमत प्रतिपादित किया है कि मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी पक्ष अनसुना नहीं रहे और प्रकरण का अंतिम निर्णय उभयपक्ष की समुचित सुनवाई के बाद गुणावगुण के आधार पर हो। इस प्रकार अपीलांट की परिस्थितियों के मध्येनजर उनके प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकारते हुये अपील पेश करने में हुई देरीना अवधि को माफ करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस ने एक प्रार्थना पत्र कृषि भूमि से अकृषि (औधोगिक) ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ खसरा नम्बर 3391/135, 3395/134 ग्राम रासना तहसील नादौती के भूमि रूपान्तरण हेतु उपखण्ड अधिकारी नादौती के यहां प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में उपलब्ध भू अभिलेख निरीक्षण गढमोरा की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2021 एवं पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट 14.10.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर ख.नं. 1391/135 में 0.22 हैक्टे. में तथा ख.नं. 134 में 0.20 हैक्टे. में ईंट भट्टा हेतु उपयोग में लिया जा रहा है तथा ईंट बनने का कार्य चालू है। उक्त खसरा नम्बर में चिमनी लगी हुई है। इसी प्रकार तहसीलदार नादौती की रिपोर्ट दिनांक 11.02.2022 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर में पहुॅच मार्ग खसरा नम्बर 676 बताया गया है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड गैर मुमकिन रास्ता न होकर गैर मुमकिन पहाड दर्ज है। तहसीलदार नादौती की रिपोर्ट दिनांक 1.3.2023 में स्पष्ट अंकन है कि उक्त प्रस्तावित भूमि के सबसे नजदीक ईंट भट्टा खसरा नम्बर 3397/336, 339 व 357 के मध्य में संचालित है जिसकी प्रस्तावित चिमनी से सीधी दूरी लगभग 120 मीटर है जबकि मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम 01 किमी दूरी पर ईंट भट्टों की स्थापना की जानी चाहिए जो नहीं है। इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.02.2022 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम 2022 में दी गई शर्तों की पूर्ति नहीं कर रहा है। इस प्रकार अपीलांटस द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया है और प्रस्तावित भूमि के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा एक भट्टे से दूसरे भट्टे की पर्याप्त दूरी नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दलीलें सारहीन एवं निराधार है। उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में न्यायालय के मत में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी नादौती का आदेश दिनांक 13.03.2023 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 27.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर